



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां

ADR सेंटर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, बारां (राज0)

(Phone-07453-294186 Chairman/Secretary)

कमांक :- 1672

दिनांक :- 13.03.26

:- विज्ञप्ति :-

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ-7(136)रालसा/संस्था/संविदा सेवा-चाइन/2026/156 दिनांक 10.03.2026 के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पूर्व में हो) के लिये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त कार्मिक प्रतिनियुक्त पर सेवाएँ निम्न प्रकार ली जानी हैं:-

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	04
2.	तालुका विधिक सेवा समिति, छबड़ा		01
3.	तालुका विधिक सेवा समिति, अटरू		01
4.	तालुका विधिक सेवा समिति, शाहबाद		01
5.	तालुका विधिक सेवा समिति, छीपाबड़ोद		01
6.	तालुका विधिक सेवा समिति, मांगरोल		01
7.	तालुका विधिक सेवा समिति, अन्ता		01
8.	तालुका विधिक सेवा समिति, किशनगंज		01
		कुल योग	11

सामान्य निर्देश:-

- उपरोक्त पद पूर्णरूपेण अनुबन्ध पर सेवा के आधार पर होंगे।
- उपरोक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के निर्देशानुसार देय होगी।
- संविदा के आधार पर कर्मचारी की सेवाएँ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये अपेक्षित हैं, कार्मिकों की सेवा अवधि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 31.03.2027 तक या नियमित भर्ती होने तक जो भी पहले हो तक लगाया जाता है।
- सेवा निवृत्त कार्मिक को मानदेय का भुगतान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
- सेवा निवृत्त कर्मचारीगण अपने आवश्यक दस्तावेजात मय आवेदन-पत्र के साथ इस कार्यालय में दिनांक 20.03.2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
- उक्त पदों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां (जिला न्यायालय परिसर) के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

Sd/-
सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बारां(राज0)

कमांक :- 1685

दिनांक :- 13.03.26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
- श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां
- श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां।
- श्रीमान् जिला कलेक्टर, बारां को समस्त अधीनस्थ विभागों/PSUs में सूचित करने बाबत।
- श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
- श्रीमान् अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, छबड़ा/छीपाबड़ोद/शाहबाद/मांगरोल/अटरू/अन्ता/किशनगंज।
- सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, बारां को जिला न्यायालय, बारां की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/जिला न्यायालय/जिला कलेक्ट्रेट, बारां।

Sd/-
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बारां(राज0)

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां (राज.)

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं लेने के लिये)

संविदा पुनर्नियुक्ति के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिये आवेदन-पत्र

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि:-
4. पता मय मोबाईल नम्बर :-
5. आयु (दिनांक 01.01.2027) :- वर्ष माह दिन
6. शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं :-
7. मूल विभाग का नाम :-
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :-
9. अनुभव :-
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन
(रनिंग पे बैंड वेतन, ग्रेड पे)
एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि
(पीपीओ की प्रति संलग्न करें।)
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती रूपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैंड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर